



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 06.10.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ ठगी व जबरन वसूली करने वाले वांछित अभियुक्त पर पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा 25 हजार रुपये का इनाम किया गया घोषित। अभियुक्त पर आधा दर्जन से अधिक मुकदमें हैं पंजीकृत।

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 22.09.2024 को ठगी व जबरन वसूली करने के मामले में वांछित अभियुक्त पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। गौरतलब हो कि दिनांक 22.09.2024 को थाना बदौसा क्षेत्र अन्तर्गत गर्गपुर के रहने वाले वीरेन्द्र शुक्ला पुत्र मनमोहन गर्ग ने थाना अतर्रा क्षेत्र अन्तर्गत चांदनपुरवा महोतरा के रहने वाले विश्वास वर्मा से 05 लाख 50 हजार रुपये की ठगी कर ली, जब उन्होंने पैसे वापस मांगे तो वीरेन्द्र शुक्ला धमकी देने लगा। इस संबंध में प्राप्त तहरीर पर थाना कालिंजर में मु0अ0सं0 158/2024 अन्तर्गत धारा 308(6)/351(2)/ BNS पंजीकृत किया गया था। पुलिस द्वारा अभियुक्त किए जल्द गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा अभियुक्त वीरेन्द्र शुक्ला पुत्र मनमोहन गर्ग नि0 गर्गपुर थाना बदौसा जनपद बांदा पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। वांछित अभियुक्त की सूचना जो भी व्यक्ति देगा उसे इनाम दिया जायेगा साथ ही सूचना देने वाले की जानकारी गोपनीय रखी जायेगी। सभी से निवेदन है कि वांछित अभियुक्त के कहीं भी दिखने/सूचना मिलने पर इसकी सूचना मोबाइल नम्बर- 9454400257, 9454401029, 9454401352, 9454403040 पर दें।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त वीरेन्द्र शुक्ला उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 196/23 धारा 406/420/504/506 भादवि थाना अतर्रा जनपद बांदा
2. मु0अ0सं0 160/22 धारा 354/452/506 भादवि थाना बदौसा जनपद बांदा
3. मु0अ0सं0 24/11 धारा 110G सीआरपीसी थाना बदौसा जनपद बांदा
4. मु0अ0सं0 177/10 धारा 323/336/504/506 भादवि थाना बदौसा जनपद बांदा
5. मु0अ0सं0 02/07 धारा 324/504 भादवि व 3/5 पशु क्रूरता अधिनियम थाना बबेरु जनपद बांदा
6. मु0अ0सं0 158/2024 अन्तर्गत धारा 308(6)/351(2)/ BNS थाना कालिंजर जनपद बांदा

